न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/61 दर्ज तिथिः–22.03.2022

1. गेनाराम पुत्र पूनमाराम
2. गोविन्द पुत्र पूनमाराम
3. नेनूदेवी पत्नी पूनमाराम
   जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. ईसराराम पुत्र सोनाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 रिड़मल पुत्र ईसराराम
   1/2 फूसाराम पुत्र ईसराराम
   1/3 जालाराम पुत्र ईसराराम
   1/4 तीजो देवी पत्नी ईसराराम
   1/5 भीखो देवी पत्नी मेहरा पुत्री ईसराराम जाति जाट निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी
   1/6 देउ पत्नी जुंजाराम पुत्री ईसराराम जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा
2. मगाराम पुत्र सोनाराम
3. मुकनाराम पुत्र सोनाराम
4. धन्नाराम पुत्र वालाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1 जेठाराम पुत्र धन्नाराम (फौत)
      4/1/1 केसा पुत्र जेठा
      4/1/2 मोहन पुत्र जेठा जाति जाट निवासी भाटाला
      4/1/3 भंवरी पत्नी वनाराम पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी
      4/1/4 ईमरती पुत्री जेठा (नाबालिग की वली माता पेमी पत्नी जेठाराम)
      4/1/5 पेमी पत्नी जेठाराम जाति जाट निवासी भाटाला तहसील सिणधरी
   4/2 उदाराम पुत्र धन्नाराम
   4/3 लिखमाराम पुत्र धन्नाराम
   4/4 चनणी देवी पत्नी धन्नाराम
   4/5 वरजू देवी पत्नी रतनाराम पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी सड़ा धनजी सिणधरी
   4/6 हेमी पत्नी हनुमानराम पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी भाटाला तहसील सिणधरी
5. रामाराम पुत्र कौशलाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

6. मालाराम पुत्र कौशलाराम
7. हनुमानराम पुत्र कौशलाराम
8. चुन्नी पत्नी कौशलाराम
9. चम्पालाल पुत्र पाबुराम
10. विरोंदेवी पत्नी पाबुराम
11. नेनूदेवी पत्नी पाबुराम
12. मानीदेवी पत्नी पाबुराम
13. भीखाराम पुत्र शोभाराम
14. हीराराम पुत्र डुंगराराम
15. चुतराराम पुत्र नगाराम जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी

.................असल प्रतिवादीगण

16. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी बैंक शाखा सडा तहसील सिणधरी
17. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रोशनलाल चौधरी
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

&¼fu.k;½&

निर्णय तिथिः—07.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 203 / 21—15 बीघा, 223 / 79—10 बीघा, वाके ग्राम खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में वादी द्वारा निम्न दस्तावेज बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किए

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 5 आधार संवत् 2072—2075 वाके ग्राम खुडाला	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 6 आधार संवत् 2072—2075 वाके ग्राम खुडाला	प्रदर्श—02
नक्शा	खसरा संख्या 203 व 223 वाके ग्राम खुडाला	प्रदर्श—03

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी
गोविंद पुत्र पूनमाराम	जाट	खुडाला गुडामालानी
जुगताराम पुत्र मेघाराम	जाट	गोदारों की बेरी सिणधरी

4. प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् वादीगण अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 26.07.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1002 दिनांक 18.06.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1002 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 23.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 771—798 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका

Signature Not Verified
?
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	निरीक्षण की दिनांक 23.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 771–798 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 23.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 203/21–15 बीघा, 223/79–10 बीघा, वाके ग्राम खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
>> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
>> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
>> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
>> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॅार्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॅार्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॅार्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॅार्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

गेनाराम बनाम ईशराराम
2022/61
निर्णय दिनांकः–07.08.2025

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 203/21–15 बीघा, 223/79–10 बीघा, वाके ग्राम खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
चूनी पत्नी कोहलाराम मालाराम पुत्र कोहलाराम रामाराम पुत्र कोहलाराम हनुमान पुत्र कोहलाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन–चूनी पत्नी कोहलाराम हि0 आरएमजीबी सड़ा मालाराम, रामाराम, हनुमान पिसरान कोहलाराम आरएमजीबी सड़ा पूर्ण खाता रहन	खुडाला खुडाला	223 203	3.2071 0.8700	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 4.0771 है0				
गेनाराम पुत्र पूनमाराम गोविन्द पुत्र पूनमाराम नेनूदेवी फौत कायम मुकाम (गेना, गोविन्द पिसरान पूनमाराम, टीपू, जेठी, शांति पिसरान पूनमाराम) जाति जाट सा0 देह खातेदार	खुडाला खुडाला खुडाला	223 223 203	2.7271 0.4800 0.8700	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 4.0771 है0				
मुकना पुत्र सोना हि0 2265/13591 मगा पुत्र सोना हि0 2265/13591 ईसरा पुत्र सोनाराम फौत के कायम मुकाम रिड़मल पुत्र ईसरा हि0 335/13591 फुसा पुत्र ईसरा हि0 335/13591 जाला पुत्र ईसरा हि0 335/13591 तीजो पत्नी ईसराराम हि0 335/13591 भीखो पुत्री ईसरा हि0 335/13591 देऊ पुत्री ईसराराम हि0 335/13591 जाति जाट सा0 देह खातेदार धनाराम पुत्र वालाराम फौत कायम मुकाम	खुडाला खुडाला खुडाला	203 223 223	1.7403 5.4431 0.9712	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

जेठा पुत्र धनाराम हि0 1 / 12 उदा पुत्र धनाराम हि0 1 / 12 लिखमा पुत्र धनाराम हि0 1 / 12 चनणी पत्नी धनाराम हि0 1 / 12 वरजू पुत्री धनाराम हि0 1 / 12 हेमी पुत्री धनाराम हि0 1 / 12 जाति जाट सा0 देह खातेदार चूतराराम पुत्र नगाराम हि0 383 / 81546 चम्पालाल पुत्र पाबूराम हि0 16 / 13591 नेनूदेवी पुत्री पाबूराम हि0 16 / 13591 मानीदेवी पत्नी पाबूराम हि0 16 / 13591 वीरोदेवी पुत्री पाबूराम हि0 16 / 13591 भीखाराम पुत्र शोभाराम हि0 383 / 13591 हीराराम पुत्र डूंगराराम हि0 383 / 81546 जाति जाट सा0 देह खातेदार				
कुल किता 03 रकबा 8.1546 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/61 दर्ज तिथिः–22.03.2022

1. गेनाराम पुत्र पूनमाराम
2. गोविन्द पुत्र पूनमाराम
3. नेनूदेवी पत्नी पूनमाराम
   जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. ईसराराम पुत्र सोनाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 रिडमल पुत्र ईसराराम
   1/2 फूसाराम पुत्र ईसराराम
   1/3 जालाराम पुत्र ईसराराम
   1/4 तीजो देवी पत्नी ईसराराम
   1/5 भीखो देवी पत्नी मेहरा पुत्री ईसराराम जाति जाट निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी
   1/6 देउ पत्नी जुंजाराम पुत्री ईसराराम जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा
2. मगाराम पुत्र सोनाराम
3. मुकनाराम पुत्र सोनाराम
4. धन्नाराम पुत्र वालाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1 जेठाराम पुत्र धन्नाराम (फौत)
      4/1/1 केसा पुत्र जेठा
      4/1/2 मोहन पुत्र जेठा जाति जाट निवासी भाटाला
      4/1/3 भंवरी पत्नी वनाराम पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी
      4/1/4 ईमरती पुत्री जेठा (नाबालिग की वली माता पेमी पत्नी जेठाराम)
      4/1/5 पेमी पत्नी जेठाराम जाति जाट निवासी भाटाला तहसील सिणधरी
   4/2 उदाराम पुत्र धन्नाराम
   4/3 लिखमाराम पुत्र धन्नाराम
   4/4 चनणी देवी पत्नी धन्नाराम
   4/5 वरजू देवी पत्नी रतनाराम पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी सड़ा धनजी सिणधरी
   4/6 हेमी पत्नी हनुमानराम पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी भाटाला तहसील सिणधरी
5. रामाराम पुत्र कौशलाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

6. मालाराम पुत्र कौशलाराम
7. हनुमानराम पुत्र कौशलाराम
8. चुन्नी पत्नी कौशलाराम
9. चम्पालाल पुत्र पाबुराम
10. विरोंदेवी पत्नी पाबुराम
11. नेनूदेवी पत्नी पाबुराम
12. मानीदेवी पत्नी पाबुराम
13. भीखाराम पुत्र शोभाराम
14. हीराराम पुत्र डुंगराराम
15. चुतराराम पुत्र नगाराम जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी

..................असल प्रतिवादीगण

16. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी बैंक शाखा सडा तहसील सिणधरी
17. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रोशनलाल चौधरी
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

&%ipk fMØh%&

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 203/21—15 बीघा, 223/79—10 बीघा, वाके ग्राम खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
चूनी पत्नी कोहलाराम मालाराम पुत्र कोहलाराम रामाराम पुत्र कोहलाराम हनुमान पुत्र कोहलाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन—चूनी पत्नी कोहलाराम हि0	खुडाला खुडाला	223 203	3.2071 0.8700	बा0सो0 बा0सो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

आरएमजीबी सड़ा मालाराम, रामाराम, हनुमान पिसरान कोहलाराम आरएमजीबी सड़ा पूर्ण खाता रहन				
कुल किता 02 रकबा 4.0771 है0				
गेनाराम पुत्र पूनमाराम गोविन्द पुत्र पूनमाराम नेनूदेवी फौत कायम मुकाम (गेना, गोविन्द पिसरान पूनमाराम, टीपू, जेठी, शांति पिसरान पूनमाराम) जाति जाट सा0 देह खातेदार	खुडाला खुडाला खुडाला	223 223 203	2.7271 0.4800 0.8700	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 4.0771 है0				
मुकना पुत्र सोना हि0 2265 / 13591 मगा पुत्र सोना हि0 2265 / 13591 ईसरा पुत्र सोनाराम फौत के कायम मुकाम रिड़मल पुत्र ईसरा हि0 335 / 13591 फुसा पुत्र ईसरा हि0 335 / 13591 जाला पुत्र ईसरा हि0 335 / 13591 तीजो पत्नी ईसराराम हि0 335 / 13591 भीखो पुत्री ईसरा हि0 335 / 13591 देऊ पुत्री ईसराराम हि0 335 / 13591 जाति जाट सा0 देह खातेदार धनाराम पुत्र वालाराम फौत कायम मुकाम जेठा पुत्र धनाराम हि0 1 / 12 उदा पुत्र धनाराम हि0 1 / 12 लिखमा पुत्र धनाराम हि0 1 / 12 चनणी पत्नी धनाराम हि0 1 / 12 वरजू पुत्री धनाराम हि0 1 / 12 हेमी पुत्री धनाराम हि0 1 / 12 जाति जाट सा0 देह खातेदार चूतराराम पुत्र नगाराम हि0 383 / 81546 चम्पालाल पुत्र पाबूराम हि0 16 / 13591 नेनूदेवी पुत्री पाबूराम हि0 16 / 13591 मानीदेवी पत्नी पाबूराम हि0 16 / 13591 वीरोदेवी पुत्री पाबूराम हि0 16 / 13591 भीखाराम पुत्र शोभाराम हि0 383 / 13591 हीराराम पुत्र डूंगराराम हि0 383 / 81546 जाति जाट सा0 देह खातेदार	खुडाला खुडाला खुडाला	203 223 223	1.7403 5.4431 0.9712	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 8.1546 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested